[भारत के राज-पत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त-मंत्रालय

राजस्व-विभाग

अधिसूचना

सं०. 2/2018-सीमाशुल्क (ए डी डी)

नयी दिल्ली, 17 जनवरी , 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क टेरिफ़ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सीमाशुल्क टेरिफ़ (पाटित वस्तुओं के पहचान, उनका आकलन, और उन पर प्रति-पाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, और 23 के साथ पठित, केंद्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय (राजस्व-विभाग) की अधिसूचना सं० 40/2012-सीमाशुल्क (ए डी डी), दिनांक 30 अगस्त 2012, जिसे सा. का. नि. 657(अ), दिनांक 30 अगस्त 2012 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था, को निरसित करती है, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुये।

इसके अलावा, उक्त अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (ए डी डी), दिनांक 30 अगस्त 2012 के अंतर्गत 29 अगस्त 2017 को या उसके बाद भुगतान किए गए प्रतिपाटन शुल्क को उन व्यक्तियों को वापस कर दिया जाएगा जिन्हों ने अपने इस दायित्व को बिना दूसरे के ऊपर डाले इसका विधि के अनुसार वास्तव में भुगतान कर दिया है।

[फ़ा.सं. 354/17/2000-टी आर यू (भाग III)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार